वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

Web: www.vbspu.ac.in

Email:connectpuregistrar@gmail.com

पत्रांकः 6827 /शैक्षणिक/2025 **अनुस्मारक–1** दिनांकः 28.6.25

सेवा में,

1. **समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक, विश्वविद्याालय परिसर,**
   वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
2. **समस्त प्राचार्य/प्राचार्या**
   राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय,
   सम्बद्ध वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

विषय– विश्वविद्यालय परिसर एवं राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक– 25.04.2025 के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिसर एवं राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में संविदा पर कार्यरत/अनुमोदित ऐसे शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है के सम्बन्ध में जो निम्न अर्हता धारित करते हों–

1. कार्यभार ग्रहण की तिथि से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों,
2. शोध उपाधि प्राप्त किये हुए अद्यतन 5 वर्ष पूर्ण हो गये हों,
3. शिक्षक द्वारा शोध उपाधि की प्राप्ति के पश्चात् पाँच शोध पत्र **Referred Journals** में प्रकाशित हो।

इस सम्बन्ध में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रयों के ऐसे शिक्षक जो उपरोक्त समस्त अर्हता धारित करते हों का विवरण संलग्न प्रारूप पर दिनांक–10.06.2025 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय पत्रांक–8937/शैक्षणिक/2025 दिनांक–29.05.2025 द्वारा निर्देशित किया गया था परन्तु मांगी गयी सूचना कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अद्यतन अप्राप्त है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि वांछित सूचना संलग्न प्रारूप पर दिनांक–10.07.2025 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ऐसे महाविद्यालय, जिनके यहाँ अर्ह शिक्षकों की संख्या शून्य है, वो भी अपनी सूचना शून्य (Nil) करके प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक–25.04.2025 के क्रम में संज्ञानार्थ।
2. वित्त अधिकारी जी को सूचनार्थ।
3. उप कुलसचिव, शैक्षणिक।
4. वेबमास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेब–साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

विश्वविद्यालय परिसर/अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित शिक्षकों के विवरण का प्रारूप

महाविद्यालय का नाम– ....

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	विषय/विभाग का नाम	अनुमोदन तिथि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	शैक्षणिक अनुभव (वर्ष में)	शोध उपाधि प्राप्त करने की तिथि

नोट–

1. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात्/विश्वविद्यालय परिसर में संविदा पर नियुक्त ऐसे शिक्षक जो अपने कार्यभार ग्रहण की तिथि से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों तथा शोध उपाधि प्राप्त किये हुए अद्यतन 05 वर्ष पूर्ण हो गये हो।
2. शिक्षक द्वारा शोध उपाधि की प्राप्ति के पश्चात् 05 शोध पत्र **Referred Journals** में प्रकाशित हो।
3. महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया जाय कि शोध कार्य हेतु उनके शोध केन्द्र पर समस्त मूलभूत सुविधायें/संसाधन उपलब्ध हैं।